



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गोवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त को 23 दिवस का कारावास व ₹700 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०--698/2003 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त साबिर पुत्र मुन्ना खां उर्फ मुन्नन निवासी मोहल्ला खालेपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 23 दिवस का कारावास व ₹700 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एसपीओ रणविजय सिंह



विवेचक-
उ०नि० सहदेव सिंह



पैरोकार- थाना को० नगर
का० मनोज सिकरवार